

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में भेषजज्ञ के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 0सं .ज्ञा.के का 13.10.2015 के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में भेषजज्ञ के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक गियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30, (Thenkholal baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)II(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

डा. क्षमन्त

ग. प्र. सामंत

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली  
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1991 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (भेषजज्ञ), भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता- वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या  | वर्गीकरण  | वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान               | चयन या अचयन पद  |
|-----------|---|---|--|-----------------|
| (1)       | (2)   | (3)   | (4)  | (5)             |
| शेषजज्ञ   | 11 (न्यारह)* (2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा,<br>समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय | वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5<br>(29200-92300 रुपये) | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|--|---|-----------------------------|---|
| (6)   | (7)  | (8)   | (9)                         | (10)  |
| 18-25 वर्ष के बीच।                                  | 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण।<br>2. भारतीय शेषजी परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से शेषजी में डिप्लोमा।<br>3. शेषजज्ञ अधिनियम, 1948 के अधीन वतौर शेषजज्ञ पंजीकृत। | लागू नहीं होता।   | दो वर्ष।                    | सीधी भर्ती।   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p> | <p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>  | <p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> |
| <p>(11)</p>   | <p>(12)</p>  | <p>(13)</p>  |
| <p>लागू नहीं होता।</p>  | <p>भर्ती, प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति में निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप-प्रधानाचार्य, लेडी हाईंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष</li> <li>2. भेषजगुणविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष - सदस्य</li> <li>3. उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हाईंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य</li> <li>4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हाईंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के प्रशासन का कार्य देख रहे उपनिदेशक - सदस्य</li> </ol> | <p>लागू नहीं होता।</p>   |

[ए.11018/21/2016-एमएच II]

(जी.पी. सामंता)  
अवर सचिव, भारत सरकार